न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :- हेमराज गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण संख्या– 16/2016 दायर दिनांक– 25.02.2016

सीसीएमएस नं. 2016/05440

1. कन्हैया पुत्र घूमा
2. मनोहरी पुत्र घूमा

} जाति–जाट, निवासी–पीपलहेडा, तहसील–हिण्डौन, जिला–करौली (राज0)

———सायलान–02

बनाम

1. निर्भय
2. विजय
3. गोविन्द पुत्र किरोडी
4. दर्याव पुत्र रामजीलाल
5. दीवानसिंह पुत्र सुगरसिंह
6. धर्मी पत्नि किरोडी
7. निरंजन पुत्र सुगरसिंह
8. फत्ते पुत्र किरोडी
9. बच्चूसिंह पुत्र रामजीलाल
10. वचन पुत्र धीस्या
11. बृजमोहन पुत्र रामजीलाल
12. बाबू पुत्र किरोडी
13. महाराज सिंह पुत्र रामजीलाल
14. मोहनसिंह पुत्र प्रभु
15. भगवानसिंह
16. नरोत्तम
17. विनोद

} पिसरान राजाराम

} समस्त जाति–जाट, निवासी–पीपलहेडा, तहसील–हिण्डौन, जिला–करौली

18. मु. माया नपुत्री राजाराम पत्नि लक्खीलाल, जाति जाट निवासी खरैटा तहसील हिण्डौन जिला करौली
19. मु. मंटूरी पुत्री राजाराम पत्नि सोहनसिंह जाति जाट निवासी खरैटा तहसील हिण्डौन जिला करौली
20. राजेन्द्र
21. महेश
22. महेन्द्र
23. खैमी

} पिसरान–लोहडे, जाति–जाट, निवासी–पीपलहेडा, तहसील–हिण्डौन जिला–करौली

24. मु. लच्छो पुत्री लोहडे पत्नि राजेन्द्र जाति जाट निवासी पौंछडी
25. बलवीर पुत्र रेतीलाल
26. विजय सिंह पुत्र नानगराम
27. श्यामसिंह पुत्र सुगरसिंह
28. पूरण
29. करतार
30. धीरज

} पिसरान शिवचरण

} जाति–जाट, निवासी–पीपलहेडा, तहसील–हिण्डौन, जिला–करौली (राज0)

31. मु. मछला पुत्री शिवचरण पत्नि लक्ष्मण जाति निवासी ढहरा तहसील हिण्डौन जिला करौली
32. मु. दल्लो पुत्री शिवचरण पत्नि अतरसिंह जाति जाट निवासी ढहरा तहसील हिण्डौन जिला करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.02 17:20:48 IST
Reason: SelfAttested

33. शिवसिंह पुत्र सुल्तानसिंह
34. सुदीप सिंह पुत्र रेवतिराम
35. समय सिंह पुत्र गिर्राज
36. भागमल पुत्र मूला
37. बहादुर पुत्र भागमल
38. गजेन्द्र
39. अजीत
40. सुनील
41. विष्णु
42. अक्षय कुमार

(38 से 42) पिसरान भागमल

(33 से 42) समस्त जाति-जाट, निवासी-पीपलहेडा तहसील-हिण्डौन, जिला-करौली (राज0)

43. कप्तान
44. धनकम
45. रणवीर

(43 से 45) पिसरान रामसिंह

46. लक्ष्मीनारायण
47. गोविन्द
48. नवलसिंह

(46 से 48) पिसरान मानसिंह

(43 से 48) समस्त जाति-जाट, निवासी-पीपलहेडा तहसील-हिण्डौन जिला-करौली (राज0)

49. ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा स्टेशन रोड हिण्डौन
50. लैण्ड होल्डर तहसीलदारजी तहसील हिण्डौन

—गैरसायलान-03

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित —1.श्री मोहन अवस्थी सायल
2. श्री मुरारीलाल करसौलिया गैरसायल

निर्णय

दिनांक

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा न0 677 रकबा 34 ऐयर स्थित ग्राम पीपलहेडा तहसील हिण्डौन में स्थित है, जो सायलान व गैरसायलान नम्बर 1 लगायत-36 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की आराजी है और सायलान व गैरसायलान उक्त आराजी पर अपने-अपने हिस्से के अनुसार काबिज व दखील होकर काश्त करते चले आ रहे है।

आराजी खसरा न0 677 में सायलान का हिस्सा 3/16 व 3/16, कुल 6/16 है और सायलान अपने हिस्से पर काबिज व दखील होकर काश्त करते चले आ रहे है, लेकिन सायलान व गैरसायलान नम्बर-1 लगायत 36 का आपस में इतकास्मा नहीं हुआ है।

सायलान व अन्य गैरसायलान में अक्सर फसल की बुवाई जुताई एवं फसल को दोरह करते समय डोल मेड को लेकर तनाजा रहता है, इसलिये इनका शामिल में काश्त करना संभव नहीं रहा है।

वाकया दिनांक 22.12.2018 का है कि सायलान अपने हिस्से की भूमि में फसल सरसों की बुवाई को देखने गये तो गैरसायल नम्बर-36 अपने हमराही गैरसायलान नम्बर-37 ता 48

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.02 17:20:48 IST
Reason: SelfAttested

को लेकर मौके पर आ गया और सायलान से जमीन पर आने की मना कर दी तो सायलान ने कहा कि हमारी जमीन है और हम अपने हिस्से पर बुवाई कर रहे है, तो गैरसायलान एकदम नाराज हो गये और उन्होने भूमि पर नहीं आने दिया और कहा तुम्हारी कोई फसल नहीं है। हमारी जमीन है। हम फसल कांटेंगे, भूमि पर आये तो हाथ पांव तोड देंगे, जिस पर सायलान ने कहा कि इस जमीन में हमारा भी हिस्सा है और हम अपने हिस्से पर बुवाई की है, तुम तहसील में चलकर बंटवारा करा लो तो गैरसायालान नाराज हो गये और कहा कि हम जमीन को दीगर व लठैत लोगो को बेचकर उनका कब्जा कर लेंगे, तुम्हे जबरन बेदखल कर भूमि पर कब्जा करा देंगे, हमारे लटठ में दम है तुमसे बने सो करो और बटंवारा से इंकार कर दिया

गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द करने से गैरसायलान को कोई क्षति किसी प्रकार की नहीं है, जबकि गैरसायलान को पाबन्द नहीं करने से सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं है।

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार कर निवेदन है कि गैरसायलान नम्बर 36 ता 48 को इस अम्र की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया है गैरसायलान स्वयं या किसी अन्य के द्वारा सायलान को खसरा न0 677 रकबा 34 ऐयर स्थित ग्राम पीपलहेडा में 6/16 हिस्से में कोई मजाहमत मदाखलत ना तो स्वयं करे, नाही किसी अन्य से करावे और ना ही सायलान को उनके हिस्से में काश्त करने, फसल दरोह करने में कोई व्यवधान पैदा नहीं करे, और नाही सायलान को उनके हिस्से से जबरन बेदखल कर कब्जा नहीं करें, जिससे सायलान को उनके हिस्से की भूमि के उपयोग उपभोग में कोई व्यवधान किसी प्रकार की पैदा हो। मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तबल किया गया। गैरसायलान 1 ता 2, 4 ता 9, 11 ता 13, 15, 17 ता 21, 24, 25, 29 ता 33, 38, 42 की ओर से मिमो एवं 3, 10, 16, 22, 23, 26, 28, 34 ता 36, 39 ता 47 की ओर श्री विजय सिंह अधिवक्ता द्वारा बकालतनामा पेश किया एवं गैरसायल न0 49 की ओर से श्री नरेन्द्र सिंह जादौन अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया एवं गैरसायल न0 14 के आगे आदेश दिनांक 04.08.2021 द्वारा मृतक शब्द का अंकन किया गया एवं गैरसायल न0 27, 37, 46, 50 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी तथा गैरसायल न0 1 ता 10, 11 ता 13, 15 ता 16, 28 ता 36, 38 ता 45, 47, 49 का जवाब आपत्ति का दिनांक 23.09.2022 से बंद किया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.02 17:20:48 IST
Reason: SelfAttested

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी संवत 2071–74, पेश किये है।

सायलान वकील उपस्थित। सायलान वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील सायलान ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण में एकपक्षीय सायलान वकील की बहस पर मनन किया पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत 2071–74 खाता संख्या 88 खसरा नं0 677 वाके ग्राम पीपलहेडा तहसील हिण्डौन जिला करौली का अवलोकन किया गया तो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि संयुक्त खातेदारी की भूमि पर समस्त अंशधारी खातेदार पूर्णभूमि पर काबिज होते हैं तथा सायलान की दौराने दावा पेचिदगियाँ पैदा नहीं हों, मौके की स्थिति में परिवर्तन एवं अनावश्यक वादकरण बढने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में दिनांक 25.02.2019 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल दावे के तार्फैसला होने तक स्वीकार किया जाता है कि उभयपक्ष विवादित आराजी की मौका एवं रिकॉर्ड की स्थिति तार्फैसला बनाये रखें।

आदेश आज दिनांक 05.07.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.02 17:20:48 IST
Reason: SelfAttested